संख्या-61/1966ई-2/तेरह-2021-1437280

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 सितम्बर, 2021

विषय- मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारिकेश धाम, ग्राम भगवानपुर फुलवा, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली द्वारा 175 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-जी-27/दो-प्रा.डी.-222, दिनांक 10-08-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10-08-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारिकेश धाम, ग्राम भगवानपुर फुलवा, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली द्वारा 175 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 612.50 लाख लीटर क्षमता की शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी जिसके अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार अब्सोल्यूट अल्कोहल/इम्प्योर स्प्रिट/एस.डी.एस.का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से नियमानुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in